Azadi Ka Amrit Mahotsav

NABARD

Ref.No.NB.HO. IDD. / 241-271 / Pol-29 / 2024-25 dated 26 June 2024

The Managing Director / Chief Executive Officer
All StCBs & DCCBs

Madam / Dear Sir

राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के सांविधिक लेखा परीक्षकों (SA) की नियुक्ति/पुन: नियुक्ति – वर्ष 2024-25 के लिए पात्र लेखा परीक्षा फर्मों की सूची

Appointment / Re-appointment of Statutory Auditors (SAs) of State Cooperative Banks and Central Cooperative Banks – the list of eligible Audit firms for the year 2024-25

हम राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के सांविधिक लेखा परीक्षकों (SA) की नियुक्ति/पुनः नियुक्ति पर RBI के दिशानिर्देश जिसे RBI/2023-24/113 (संदर्भ नं. DOS.ARG/SEC. 8/08.91.001/2023-24) दिनांक 15 जनवरी 2024 को जारी किया गया है, का संदर्भ आमंत्रित करते हैं। यह दिशानिर्देश 01 अप्रैल 2024 से लागू होगा। तदनुसार, 01 अप्रैल 2024 को या उसके बाद शुरू होने वाली सभी लेखा अवधि के लिए, सभी StCB और CCB, RBI के दिशानिर्देशों का पालन करेंगे और निम्नलिखित रूप में परिकल्पित प्रक्रिया को अपनाएंगे।

We invite a reference to the RBI's Guideline on Appointment / Re-appointment of Statutory Auditors (SAs) of State Cooperative Banks and Central Cooperative Banks issued vide RBI/ 2023-24/ 113 (Ref. No. DOS.ARG/SEC.8/08.91.001/2023-24) dated 15 January 2024. The guideline shall come into effect from 01 April 2024. Accordingly, for all accounting periods commencing on or after 01 April 2024, all StCBs and CCBs shall follow the RBI guidelines and adopt the envisaged procedure as follows:

i. SA की नियुक्ति, पुनः नियुक्ति या हटाने से पहले आरबीआई की पूर्व मंजूरी प्राप्त करना।
to obtain prior approval of RBI before appointment, re-appointment, or removal of SA.

ii. SA की वार्षिक पुनर्नियुक्ति के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।
shall seek prior approval for re-appointment of SA annually.

iii. नए SA की नियुक्ति के मामले में, बैंक नाबार्ड द्वारा प्रदान की गई सूची से आरबीआई दिशानिर्देशों के परिशिष्ट में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने वाली कम से कम दो ऑडिट फर्मों का चयन करेगा।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
संस्थागत विकास विभाग
प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26524843 • फैक्स: +91 22 26530089• ई मेल: idd@nabard.org
Institutional Develpoment Department
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26524843 • Fax: +91 22 26530089 • E-mail:idd@nabard.org

in case of appointment of fresh SA, the bank shall select minimum of two audit firms fulfilling the requirements as set out in the Appendix I of RBI Guidelines, from the list provided by NABARD.

iv. बैंक के निदेशक मंडल (बोर्ड)/बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (ACB) से शॉर्टलिस्ट की गई लेखा परीक्षा फर्मों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना।
obtain the necessary approval of the shortlisted audit firms from the Board of Directors (Board) / Audit Committee of the Board (ACB) of the bank.

v. दिनांक 15 जनवरी 2024 के RBI पत्र के परिशिष्ट-II में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संदर्भ वित्तीय वर्ष के 31 जुलाई से पहले पर्यवेक्षण विभाग, RBI को पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन जमा करें।
submit application for prior approval to Department of Supervision, RBI, before July 31 of the reference financial year as per the procedure prescribed in Appendix – II of RBI letter dated 15 January 2024.

2. तदनुसार, अब हम आपके राज्य के लिए पहचानी गई ऑडिट फर्मों (साझेदारी फर्मों/सीमित देयता भागीदारी (LLPs)) का एक पैनल प्रस्तुत कर रहें हैं, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) नई दिल्ली से SA की नियुक्ति/पुनः नियुक्ति की आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्राप्त हुआ है।

Accordingly, we now furnish a panel of audit firms (Partnership firms / Limited Liability Partnerships (LLPs) identified for your state, as received from the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), New Delhi for initiating the application process of appointment / re-appointment of SAs.

Yours faithfully

उर्वशी

(उर्वशी गर्ग)
महाप्रबंधक

संलग्न : यथोक्त